

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 55/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

JM Financial Asset Reconstruction Co. Ltd. जरिये प्रतिनिधि यश ओझा

पंजीकृत कार्यालय:- सातवीं मंजिल, सिनर्जी अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभा देवी मुम्बई- 400025

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. प्रभाती लाल सैनी

पता:- वार्ड नं. 7, ढाणी मालियों की, नाथूसर, सीकर, राज. 332712

2. चौथमल सैनी

पता:- ढाणी मालियों की, नाथूसर, सीकर, राज. 332712

3. चन्दा देवी

पता:- ढाणी मालियों की, नाथूसर, सीकर, राज. 332712

-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.



स्वीकृति आदेश

दिनांक: 26 मई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः प्रभाती लाल सैनी, चौथमल सैनी एवं चन्दा देवी की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी चन्दा देवी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति खाता संख्या 158, आराजी खसरा नं. 1725 रकबा 2.1500 हैक्टेयर, खसरा नं. 1753 रकबा 1.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1754 रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि मे हिस्सा 1/30 जिसमें एक पुख्ता निर्मित मकान जिसकी नाप पूर्व-पश्चिम 57 फीट व उत्तर-दक्षिण 5 फीट है, ग्राम नाथूसर, भू.अ.नि. मउ, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 342 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं


 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में स्वयं की भूमि, पश्चिम दिशा में प्रभाती लाल की सम्पत्ति, उत्तर दिशा में 15 फीट रोड एवं दक्षिण दिशा में स्वयं की सम्पत्ति स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹12,00,000/- (अक्षरे रूपये बारह लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 29.11.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 29.11.2024 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः प्रभाती लाल सैनी, चौथमल सैनी एवं चन्दा देवी की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी चन्दा देवी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति खाता संख्या 158, आराजी खसरा नं. 1725 रकबा 2.1500 हैक्टेयर, खसरा नं. 1753 रकबा 1.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1754 रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि मे हिस्सा 1/30 जिसमें एक पुख्ता निर्मित मकान जिसकी नाप पूर्व-पश्चिम 57 फीट व उत्तर-दक्षिण 5 फीट है, ग्राम नाथूसर, भू.अ.नि. मउ, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 342 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब




 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

दिशा में स्वयं की भूमि, पश्चिम दिशा में प्रभाती लाल की सम्पत्ति, उत्तर दिशा में 15 फीट रोड एवं दक्षिण दिशा में स्वयं की सम्पत्ति स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 26 मई, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर